भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3244
दिनांक 08.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय नागरिकों का प्रत्यावर्तन

3244**. श्री अमरा रामः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अमेरिकी सरकार ने भारतीय नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर सैन्य विमान से भारत वापस भेजा है, यदि हाँ , तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या इससे देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, यदि हाँ , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह मामला अमेरिकी सरकार के समक्ष उठाया गया था, यदि हाँ , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और

(घ) नागरिकों को वापस लाने के लिए अपने विमान न भेजे जाने के क्या कारण हैं जबकि कई छोटे देशों ने ऐसा किया; और

(ङ) मीडिया को उन नागरिकों से मिलने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क से ङ) 20 जनवरी 2025 से, अमेरिकी प्रशासन ने व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) के नेतृत्व में व्यापक "राष्ट्रीय सुरक्षा पहल" के तहत कई देशों के लिए निर्वासन अभियान चलाए।

अमेरिका केवल उन्हीं व्यक्तियों को निर्वासित कर रहा है जिन्हें अमेरिकी आप्रवासन कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यदि कोई नागरिक विदेश में अवैध रूप से रहता

हुआ पाया जाता है, तो उसे वापस लेना सभी देशों का दायित्व है। तथापि, यह उनकी राष्ट्रीयता के स्पष्ट सत्यापन के अध्यधीन है। यह केवल भारत द्वारा अपनाई गई नीति नहीं है; यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक सर्वमान्य सिद्धांत है।
निर्वासन अभियानों के दौरान निर्वासित लोगों के साथ मानवीय व्यवहार के संबंध में विदेश मंत्रालय अमेरिकी पक्ष के साथ संपर्क में रहता है। मंत्रालय ने 5 फरवरी को उतरे विमान में निर्वासित लोगों के साथ किए गए व्यवहार, विशेष रूप से महिलाओं पर बेड़ियों के इस्तेमाल के संबंध में, अमेरिकी प्राधिकारियों के समक्ष पुरज़ोर ढंग से अपनी चिंताएँ दर्ज कराई थीं। अमेरिका ने पुष्टि की है कि, 15 फ़रवरी 2025 के बाद भारत पहुँचने वाली निर्वासन उड़ानों में किसी भी महिला या बच्चे को बंधन में नहीं रखा गया। इस मंत्रालय को, बाद की उड़ानों में निर्वासित लोगों पर बंधनों के इस्तेमाल के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। अमेरिका ने हाल ही में वाणिज्यिक उड़ानों और समर्पित यात्री चार्टर सेवाओं से भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया है।

अवैध प्रवास अक्सर गैरकानूनी गतिविधियों के एक व्यापक नेटवर्क से जुड़ा होता है। भारत सरकार, ऐसे प्रवास को संभव बनाने वाले तंत्र की पहचान करने और उसे नष्ट करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है, जिसमें बेईमान एजेंट, मानव तस्करी रैकेट और अवैध आप्रवासन को सुगम बनाने में शामिल अन्य आपराधिक तत्व शामिल हैं।

भारत में प्रिंट और विज़ुअल मीडिया दोनों में निर्वासन के मुद्दे को व्यापक कवरेज मिला है। कई निर्वासित व्यक्तियों ने मीडिया से बात की है और अपने अनुभवों को विस्तार से बताया है।

*****